69

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः– श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी दो / निगरानी / रीवा / भू.रा / 2017 / 6346 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 18–12–2017 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज जिला रीवा के प्रकरण कमांक 09 / अ–27 / 2015–16.

....

1–मु0 निर्मला सिंह पत्नी स्व0 श्री पृथ्वीलोटन सिंह
2–पंकज सिंह तनय स्व0 श्री पृथ्वीलोटन सिंह
3–नीरज सिंह तनय स्व0 श्री पृथ्वीलोटन सिंह
निवासी ग्राम करकचहा तहसील हनुमना
जिला रीवा म0प्र0

––– आवेदकगण

विरूद्ध

1–मणिराज कुमारी पुत्री श्री त्रिवेणी सिंह
पत्नी श्री राजबहोरन सिंह
2– मंगलेश्वर सिंह तनय स्वी श्री हनुमान सिंह
निवासीगण चाक मोड़ के पास मऊगंज
जिला रीवा म0प्र0

––– अनावेदकगण

....

श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री पी0 के0 तिवारी, अभिभाषक, अनावेदक

....

आदेश

(आज दिनांक 05–04–18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–12–2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा दिनांक 4.2.13 द्वारा तहसीलदार तहसील मऊगंज जिला रीवा के न्यायालय में म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर संयुक्त खाते से प्रथक प्रथक बटवारा किया जावे। तहसीलदार द्वारा दिनांक 4.11.15 को बटवारा आदेश पारित किया गया जिससे दुखित होकर अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसके साथ धारा–5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज जिला रीवा द्वारा सर्वप्रथम म्याद अधिनियम धारा–5 के आवेदन पर तर्क सुने तथा उनके द्वारा पाया गया कि बटवारा पुल्ली में खसरा नं0 455/1ध/2, 455/1च, और 294/15 अनावेदकण की स्व अर्जित भूमियां है, सहखाते की नहीं है, परंतु उनके द्वारा सहखाते में सामिल किया गया है, जिससे उनके द्वारा न्याय हित में धारा–5 का आवेदन दिनांक 18.12.17 को स्वीकार किया जिससे दुखित होकर आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि तहसीलदार मऊगंज के न्यायालय में राजस्व संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत खाता विभाजन का आवेदन प्रस्तुत किया, तहसीलदार द्वारा प्रकिया का पालन करते हुये उभयपक्षों की सुनवाई कर जरिये राजस्व प्रकरण कमांक 29/अ–27/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 4.11.15

द्वारा खाता विभाजन कर बंटनवारा कर दिया जिसका कियान्वयन राजस्व अभिलेखों में हो गया। आवेदक अधिवक्ता का तर्क यह भी है कि अनावेदक सूचना उपरांत तहसील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये, उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज जिला रीवा द्वारा धारा–5 का आवेदन स्वीकार करने में त्रुटि की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय में अनावेदक दिनांक 30.5.13 को उपस्थित नहीं हुये थे तथा उनके विरूद्व दिनांक 30.5.13 को एक पक्षीय कार्यवाही ही की गई उसे निरस्त करवाने की कार्यवाही उन लोगों के द्वारा नहीं की गई है इस तरह तहसीलदार के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे। तथा अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज जिला रीवा का अंतिरिम आदेश दिनांक 18.12.17 निरस्त किया जावे।

4– अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदक को तहसील न्यायालय में सूचना नहीं दी गई थी और जो दिनांक 7.5.13 की तामील पर हस्ताक्षर है वह मंगलेश्वर के नहीं है क्यों कि जो आधार कार्ड में हस्ताक्षर हैं वह हस्ताक्षर नहीं है किसी अन्य के हस्ताक्षर बनाये गये है । उनका यह भी कहना है कि जो भूमि अनावेदकगण को दी गई है वह शासकीय भूमि है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा –5 का आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई। अंत में उनके द्वारा बताया गया है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 2 मंगलेश्वर को जो

दिनांक 7.5.13 की तामील भेजी गई है उसमें उनके हस्ताक्षर नहीं है, अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की जो उसमें हस्ताक्षर बने हुये है उससे कोई मिलान नहीं हो रहा है इससे स्पष्ट है कि अनावेदकगण को सूचना और सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है और उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही करने में त्रुटि की गई है। तहसीलदार के न्यायालय में जो पुल्ली प्रस्तुत की गई है उसमें अनावेदकगण को शासकीय भूमि का नम्बर आबंटित किया गया है और जो उसके हिस्से की भूमि है वह अपने खाते में शामिल कर ली गई है। अनावेदकगण को तहसीलदार के आदेश की जानकारी नहीं थी जानकारी होने पर उनके द्वारा नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की और उसके साथ धारा–5 का आवेदन प्रस्तुत किया । अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज द्वारा धारा–5 का आवेदन स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधार हीन होने से निरस्त की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज द्वारा प्रकरण कमांक 09/अ–27/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 18.12.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर